नमामि गंगे

जल जीविका जैवविविधता

जैवविविधता आधारित पर्यटन

प्रशिक्षण मैन्युअल

प्रकृति रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga
गंगा सेवा भारत सेवा

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जल जीविका जैवविविधता

जैवविविधता आधारित पर्यटन

प्रशिक्षण मैन्युअल

जैवविविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार परियोजना

हेमलता खण्डूरी

डॉ0 संध्या जोशी

डॉ0 रुचि बडोला

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

विषय सूची

जैवविविधता आधारित पर्यटन	1
गंगा का महत्व, जैवविविधता एंव उसकी चुनौतियां	3
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे एंव जैवविविधता संरक्षण तथा गंगा जीर्णोद्धार कार्यक्रम	5
गंगा नदी	7
उद्गम	8
गंगा का मैदान	9
आर्थिक महत्व	10
धार्मिक महत्व	11
पौराणिक प्रसंग	12
जीव–जन्तु	13
वाराणसी	14
रहन–सहन	15
वाराणसी का जनजीवन	16
वाराणसी के घाट	17
वाराणसी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल	21
बनारस की संस्कृति	25
बनारस में साहित्य	26
वाराणसी की विभूतियां	27
बनारस का नृत्य एंव संगीत	31
सुरक्षित और मनोरंजक पर्यटन हेतु दिषानिर्देष	34
जनजागरूकता हेतु महत्वपूर्ण संदेष	39

जल
जीविका
जैवविविधताा

जैवविविधता आधारित पर्यटन

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, वन एंव पर्यावरण के क्षेत्र में युवाओं के कौषल विकास हेतु ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जिसके द्वारा युवाओं को वन एंव पर्यावरण के क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाया जायेगा। कार्यक्रम का उद्देष्य तकनीकी ज्ञान एंव सतत विकास के प्रति प्रतिबदद्धता रखने वाले लोगों को तैयार करना है जो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (National Determined Contributions), सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Develoment Goal), राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (National Biodiversity Targets) के साथ ही अपषिष्ट प्रबंधन नियमों (Waste Management Rules 2016) की प्राप्ति में योगदान देंगें।

अधिकतर व्यवसायिक प्रषिक्षणों में प्रषिक्षणार्थियों के तकनीकी कौषल के विकास पर ध्यान दिया जाता है। हरित कौषल के अंतर्गत कराये जाने वाले प्रषिक्षण पर्यावरण की गुणवत्ता

को संरक्षित करने में योगदान देते हैं साथ ही ऐसे रोजगार को बढ़ावा देते हैं जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र व जैव विविधता को हानि न हो व अपषिष्ट व प्रदूषण में कमी आये। पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले अभ्यर्थी चिड़ियाघर, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों, जैव संरक्षित क्षेत्रों, वनस्पति उद्यान, नर्सरी, आर्द्रभूमि स्थलों, राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यटन, कृषि, अपषिष्ट प्रबन्धन आदि के क्षेत्र में नियोजित किये जा सकते हैं। ये पाठ्यक्रम अभ्यर्थी को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाते हैं।

भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा **"राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिषन"** के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रम **"जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार"** के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों का चयन किया गया है जो गंगा के किनारे अवस्थित हैं और जिनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से गंगा पर निर्भरता अधिक है। गंगा नदी की वर्तमान स्थिति, अत्यधिक दोहन व जैव विविधता के ह्रास को देखते हुए एवं स्थानीय समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका हेतु प्रावधान के रुप में **ग्रीन स्किल डेवलपमेंट** कार्यक्रम को गंगा किनारे स्थित ग्रामों से चयनित गंगा प्रहरियों हेतु संचालित करने की परिकल्पना की गई। जिससे प्रषिक्षण लेने वाले गंगा प्रहरी स्थानीय स्तर पर

अपनी आजीविका चलाने के साथ ही गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लोगों को जागरुक करेंगें। गांव की सफाई, वृक्षारोपण एवं नदी के किनारे की जाने वाली स्वच्छता सम्बंधित गतिविधियों के लिए समुदाय को प्रेरित करेंगे तथा स्वयं भी उसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे।

गंगा का महत्व, जैवविविधता एंव उसकी चुनौतियां

हिमालयी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख स्थित गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्‌गम है। गोमुख 3892 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। भागीरथी में अनेक छोटी व बड़ी धारायें आकर मिलती हैं, जिसमें अलकनंदा मुख्य नदी हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है। गंगा 200 कि0मी0 का पहाड़ी सफर तय कर ऋषिकेश होते हुये प्रथम बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और विभिन्न राज्यों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी तक अपना सफर पूर्ण करती है।

गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। यह अपनी पूरी यात्रा के दौरान कई सहायक नदियों से मिलकर भारत के विशाल समतल मैदान (Gangetic plains) का निर्माण

करती है। गंगा सदियों से करोड़ो लोगों की आस्था ही नहीं आजीविका का भी साधन है। देश की लगभग आधी आबादी गंगा के किनारे बसी है। जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था के साथ ही आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति भी गंगा करती है। भारतीय जनमानस खाद्यान्न, सिंचाई, बिजली, पानी, उद्योग, परिवहन आदि के लिये गंगा पर निर्भर है।

भारत में गंगा नदी के महत्व के अलग अलग पक्ष (aspect) हैं। एक ओर तो इसका धार्मिक एंव सांस्कृतिक महत्व है वहीं दूसरी ओर यह करोड़ो लोगों की आजीविका का साधन है।

भारतीय समुदाय में होने वाले धार्मिक संस्कारों में गंगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में गंगाजल का उपयोग किया जाता है। गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है और शुभ कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। गंगा नदी के घाटों पर लोग पूजा–अर्चना और ध्यान करते हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत से तीर्थ स्थल हैं जिसमें देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी आदि प्रमुख हैं।

गंगा से अनेक पर्वों और उत्सवों का सीधा संबंध है। विभिन्न मेलों का आयोजन इसके तटों पर किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से माघ मेला, कुम्भ मेला आदि हैं। मकर संक्राति, कार्तिक पूर्णिमा, कुंभ, गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा के तटों पर कई प्रसिद्ध मंदिर बने हैं। इसके आरंभ से अंत तक स्थित अनेक संगमों में स्नान करना शुभ माना जाता है।

गंगा से भारत की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण भाग प्रभावित होता है। इसके तट पर उपजाऊ कृषि के मैदान हैं। जिन पर मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एंव गेंहू की खेती की जाती है जो भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदली भूमि होने के कारण यहां पर मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना व जूट आदि की भी अच्छी खेती होती है। गंगा के जल के द्वारा कई एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है।

गंगा नदी वनस्पतियों एंव जीव जंतुओं की 25000 से अधिक प्रजातियों को पोषित करती है और 50 करोड़ से अधिक आबादी के लिये जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। गंगा बेसिन कई प्रजातियों की विस्तृत विविधता का घर है। गंगा में असंख्य जीव जन्तुओं का निवास स्थान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार गंगा नदी में लगभग 2000 जलीय जीव प्रजातियों का निवास स्थान है। इन प्रजातियों में से कई प्रजातियां क्षेत्र विशेष में गंगा के जल में पाई जाती हैं जो विश्व के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती। गंगा में डाल्फिन की एक प्रजाति, ऊदबिलाव की तीन प्रजातियां, गंभीर रूप से लुप्तप्राय मगरमच्छ की तीन प्रजातियां, कछुए की 13 प्रजातियां, मछलियों की अनेक प्रजातियों के साथ ही केकड़ों की भी अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जलीय पक्षियों की अनेकों प्रजातियां तथा गंगा बेसिन में प्रवास एंव प्रजनन हेतु आने वाले पक्षी शामिल हैं। गंगा में जीव जंतुओं का पाया जाना और उनकी संख्या एक स्वस्थ पारिस्थितिकीय तन्त्र को दर्शाती है। ये जीव गंगा को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं साथ ही लाखों लोगों के लिये आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराते हैं।

विभिन्न कारणों से आज गंगा को प्रदूषण संबंधी भारी दबावों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी जैवविविधता तथा पारिस्थितिकी को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले दशकों में गंगा नदी के बेसिन में जनसंख्या की लगातार वृद्धि के कारण कृषि के विस्तार, औद्योगीकरण, सिंचाई, उद्योग एंव पेयजल के लिये गंगा के पानी का अत्यधिक उपयोग हुआ है। गंगा में नगरों के सीवेज, औद्योगिक इकाईयों के अपशिष्ट तथा कृषि में उपयोग किये गये रसायनों के मिलने के कारण प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। साथ ही मानव द्वारा अत्यधिक दोहन, पारिस्थितिकीय परिवर्तन एंव संकीर्ण होते आवासीय क्षेत्र, प्रदूषण आदि के कारण जलीय जीवों के जीवन पर संकट बना हुआ है जिससे कि जलीय जीवों की कई प्रजातियां लुप्तप्राय: हो गई हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय वन्य जीव संस्थान एंव जैवविविधता संरक्षण तथा गंगा जीर्णोद्धार कार्यक्रम

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नदी को पुर्नजीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल

करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एंव निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एंव संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एंव संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एंव अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुर्नरूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एंव अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एंव पुर्नवास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की

प्रजातियों के पुर्नवास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एंव गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

गंगा की प्रजातियों के पुर्नवास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। गंगा प्रहरी स्थानीय समुदाय के बीच से चिन्हित किये गये स्वंयसेवकों का वह समूह है, जिसका मुख्य उद्देष्य गंगा की निर्मल धारा को बनाये रखने एंव गंगा नदी की जलीय जैवविविधता के संरक्षण में सहयोग प्रदान करना है। गंगा प्रहरियों की संकल्पना एक ऐसे सामुदायिक समूह के रूप में की गई है जो गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एंव सामुदायिक महत्व की गतिविधियों जैसे आजीविका संवर्धन, सामुदायिक स्वच्छता, वृक्षरोपण एंव जागरूकता में सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगें। ग्रीन स्किल प्रषिक्षण को गंगा के किनारे स्थित ग्रामों के गंगा प्रहरियों को प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि समुदाय की आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी हो और गंगा नदी पर उनकी निर्भरता कम की जा सके।

गंगा नदी

गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेष में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखण्ड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुन्दरवन तक विषाल भू–भाग को सींचती है। देष की प्राकृतिक सम्पदा ही नहीं, जन–जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। भारत तथा उसके बाद बांग्लादेष में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विषाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट (31 मी0) की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में

की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौन्दर्य और महत्व के कारण बार–बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेषी साहित्य में भी प्रषंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किये गये हैं।

इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियाँ तो पायी जाती हैं, मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन भी पायी जाती हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विषेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध ओर नदी परियोजनाएँ भारत की बिजली, पानी और कृषि से सम्बन्धित ज़रूरतों को पूरा करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सका है। इसको साफ करने के प्रयत्न जारी हैं और सफ़ाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवम्बर, 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच (1600 किलोमीटर) गंगा जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

उद्गम

गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखण्ड में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 कि0मी0 उत्तर की ओर 4023 मी0 (13,200 फीट) की ऊँचाई पर इस हिमनद का मुख है। यह हिमनद 25 कि0मी0 लम्बा, 4 कि0मी0 चौड़ा और लगभग

40 मीटर ऊँचा है। इसी ग्लेषियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती हैं। गौमुख के रास्ते में 3600 मीटर ऊँचाई पर बसे चीरबासा ग्राम से विषाल गौमुख हिमनद के दर्षन होते हैं। इस हिमनद में नन्दा देवी, कामत पर्वत एवं त्रिषूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। यद्यपि गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनकी 5 सहायक छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। अलकनन्दा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा तथा मन्दाकिनी है। धौली गंगा का अलकनन्दा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। यह 1372 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। फिर 2805 मीटर ऊँचे नन्दप्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी से संगम होता है। इसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनन्दा का कर्ण गंगा या पिंडर नदी से संगम होता है। ऋषिकेष से 139 कि0मी0 दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनन्दा मन्दाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनन्दा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम करती है यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इन पाँच प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 कि0मी0 का सँकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेष होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्ष हरिद्वार में करती है।

गंगा का मैदान

हरिद्वार से लगभग 800 कि0मी0 मैदानी यात्रा करते हुए गढ़मुक्तेष्वर, सोरों, फर्रूखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद (प्रयाग) पहुँचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिन्दुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हिन्दू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काषी (वाराणसी) में गंगा एक वक्र लेती है, जिससे यहाँ उत्तरवाहिनी कहलाती है। यहाँ से मिर्जापुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुँचती है। इस बीच इसमें बहुत–सी सहायक नदियाँ जैसे सोन, गण्डक, घाघरा, कोसी आदि मिल जाती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्ती होती है। पष्चिम बंगाल के मुर्षिदाबाद जिले के गिरिया नामक स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है– भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है जबकि पद्मा नदी दक्षिण–पूर्व की ओर बहती हुई फरक्का बैराज (1974 में निर्मित) से बांग्लादेष में प्रवेष करती है। यहाँ से गंगा का

डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। मुर्षिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। गंगा का यह मैदान मूलतः एक भू– अभिनति गर्त (Geo bias trough) है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 3–4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाये हुए अवसादों (sediments) से पाट रही हैं।

गंगा की इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ जिसका प्राचीन इतिहास अत्यन्त गौरवमयी व वैभवषाली है। जहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता–संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत, बल्कि समस्त संसार आलोकित हुआ। पाषाण या प्रस्तर युग का जन्म और विकास यहाँ होने के अनेक साक्ष्य मिले हैं। इसी घाटी में रामायण और महाभारत कालीन युग का उद्भव और विलय हुआ। शतपथ ब्राहमण, पंचविष ब्राहमण, गौपथ ब्राहमण, ऐतरेय आरण्यक, कौषितकी आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, वाजसनेयी संहिता और महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं से उत्तर–वैदिक कालीन गंगा घाटी की जानकारी मिलती है। प्राचीन मगध महाजनपद का उद्भव गंगा घाटी में ही हुआ, जहाँ से गणराज्यों की परंपरा विष्व में पहली बार प्रारम्भ हुई। यहीं भारत का वह स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंषीय राजाओं ने यहाँ शासन किया।

आर्थिक महत्व

गंगा अपनी उपत्यकाओं (घाटियों) में भारत और बांग्लादेष के कृषि आधारित क्षेत्र में भारी सहयोग तो करती ही है, यह अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई का बारहमासी स्रोत भी है। इन क्षेत्रों में उगायी जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवम् गेहूँ हैं। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ लेग्यूम, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की फसल बहुतायत में

होती है, इसमें लगभग 143 मत्स्य प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। गंगा का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। इसके तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल हैं जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गंगा नदी पर राफ्टिंग के षिविरों का आयोजन किया जाता है। जो साहसिक खेलों और पर्यटन द्वारा भारत की आर्थिकी में सहयोग करते हैं। गंगा तट के तीन बड़े शहर हरिद्वार, इलाहाबाद एवम् वाराणसी, तीर्थ स्थलों में विषेष स्थान रखते हैं। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या निरंतर बनी रहती है तथा धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। गर्मी के मौसम में जब पहाडों से बर्फ पिघलती है, तब नदी में पानी की मात्रा व बहाव अत्यधिक होता है, इस समय उत्तराखण्ड में ऋषिकेष–बद्रीनाथ मार्ग पर कौडियाला से ऋषिकेष के मध्य राफ्टिंग, क्याकिंग व कैनोइंग के षिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों के षौकिनों व पर्यटकों को विषेष रूप से आकर्षित करके भारत के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

धार्मिक महत्व

भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थस्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाष हो जाता हे। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवष्यक समझते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं।

इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगाजल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवष्यक है। पंचामृत में भी गंगाजल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा सम्बन्ध है।

उदाहरण के लिए मकर संक्राति, कुम्भ और गंगा दषहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्षन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा–यमुना के संगम पर तीन करोड़ दस हजार तीर्थों का संगम होता है। ये तीर्थ स्थल सम्पूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रन्थ लिखे गये हैं। जिनमें श्रीगंगासहस्रनामस्तोत्रम् और आरती सबसे लोकप्रिय हैं। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियाँ भी स्थापित हैं जिनके दर्षन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखण्ड के पंचप्रयाग तथा प्रयागराज, जो इलाहाबाद में स्थित है, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं जहाँ वह अन्य नदियों से मिलती हैं। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गये हैं।

पौराणिक प्रसंग

गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई हैं। मिथकों के अनुसार ब्रहमा ने विष्णु के पैर के पसीने की बून्दों से गंगा का निर्माण किया। त्रिमूर्ति के दो सदस्यों के स्पर्श के कारण यह पवित्र समझा गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से साठ हजार पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवष्यक था जो ईर्ष्यालु इन्द्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया अन्त में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला जो एक ऋषि के समीप बंधा था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि ऋषि ही घोड़े के गायब होने की वजह हैं, ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आँखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी साठ हजार पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गये। सगर के पुत्रों की आत्माएँ संसार में विचरने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अंषुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंषुमान के पुत्र दिलीप ने भी। भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। उन्होंने गंगा को

पृथ्वी पर लाने का प्रण किया जिससे उनके पुरखों के अंतिम संस्कार कर, राख को गंगाजल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएँ स्वर्ग में जा सकें। भगीरथ ने ब्रहमा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रहमा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर और उसके बाद पाताल में जाने का आदेष दिया ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति सम्भव हो सके तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊँचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होऊँगी तो पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी? तत्पष्चात् भगीरथ ने भगवान षिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर, एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे–पीछे गंगा–सागर संगम तक गयी, जहाँ सगर–पुत्रों का उद्धार हुआ। षिव के स्पर्ष से गंगा और भी पावन हो गयीं और पृथ्वीवासियों के लिए श्रद्धा का केन्द्र बन गयीं। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मन्दाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। इसी प्रकार एक पौराणिक कथा शान्तनु और गंगा के विवाह तथा उनके सात पुत्रों के जन्म की है।

जीव–जन्तु

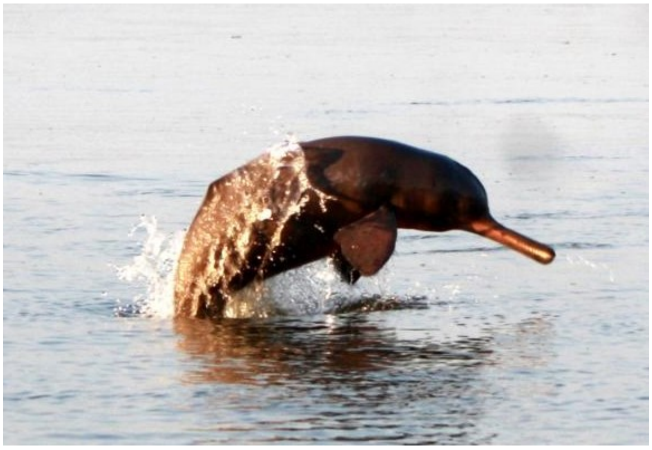

ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी तक गंगा–यमुना प्रदेष घने वनों से ढका हुआ था। इन वनों में जंगली हाथी, भैंस, गेंडा, शेर, बाघ तथा गवल का षिकार होता था। गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अपने शान्त व अनुकूल पर्यावरण के कारण रंग–बिरंगे पक्षियों का संसार अपने आंचल में संजोए हुए है। इसमें मछलियों की 140 प्रजातियाँ, 35 सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियाँ पायी जाती हैं यहाँ की उत्कृष्ट पारिस्थितिकीय संरचना में कई प्रजाति के वन्य जीवों जैसे–नीलगाय, साम्भर, खरगोश, नेवला, चिंकारा के साथ सरीसृप वर्ग के जीव–जन्तुओं को भी आश्रय मिला हुआ है।

इस इलाके में ऐसे कई जीव–जन्तुओं की प्रजातियाँ हैं जो दुर्लभ होने के कारण संरक्षित घोषित की जा चुकी हैं। गंगा के पर्वतीय किनारों पर लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, लोमड़ी,

चीते, बर्फीले चीते, हिरण, भौंकने वाले हिरण, साम्भर, कस्तूरी मृग, सेरो, बरड़ मृग, साही आदि काफी संख्या में मिलते हैं। विभिन्न रंगों की तितलियाँ तथा कीट भी यहाँ पाये जाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव में धीरे–धीरे वनों का लोप होने लगा है और गंगा की घाटी में सर्वत्र कृषि होती है फिर भी गंगा के मैदानी भाग में हिरण, जंगली सूअर, जंगली बिल्लियाँ, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी की अनेक प्रजातियाँ काफी संख्या में पायी जाती हैं। गांगेय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इस नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुन्दरवन के नाम से जाना जाता है जो विष्व की बहुत–सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल बाघ का गृहक्षेत्र है।

वाराणसी

वाराणसी का मूल नाम काशी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काषी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिन्दुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिन्दू ग्रन्थों में नगर का उल्लेख आता है। यह नगर मलमल और रेषमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दाँत और षिल्प कला के लिये व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र रहा है।

वाराणसी भारत के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। कई धर्मों एंव सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के यहां रहने के कारण इसे मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। वाराणसी हिंदु, मुस्लिम, बौद्व, जैन आदि सभी धर्मों के लोगों के लिये पवित्र स्थल है इसलिये यहां पर सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर, शांतिपूर्वक रहते हैं। यहां के लोग धार्मिक प्रवृति के हैं व धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों से युक्त हैं। यहां की सामाजिक एंव आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं जो उनके बीच एक अच्छी सामाजिक समरसता को विकसित करता है। सारनाथ एंव वाराणसी हिंदु, बौद्व एंव जैन

समुदाय के लोगों के लिये पवित्र स्थल है अतः इन समुदायों के लोगों का यहां पर ज्यादा आना जाना है। यह इन समुदायों के आपस में अंर्तनिर्भरता को दिखाता है जिसके कारण वाराणसी में इनके बीच सामाजिक एंव आर्थिक संबंध मजबूत हुआ है।

जब मन की शांति प्राप्त करने की बात आती है, तो वाराणसी की महिमा कुछ अलग ही है। यह शहर आलौकिक, आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का एकदम सही मिश्रण है। एक रंगीन, करिश्माई और आध्यात्मिक गंतव्य मानव शरीर से आत्मा को तृप्ति देने के लिए सक्षम है।

इससे पहले बनारस काषी के नाम से जाना जाता था, यह शहर हिंदू ब्रह्मांड की जीवन रेखा और शारीरिक और आध्यात्मिक शब्दों का संगम है। पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित, यह शहर उत्तर प्रदेष का गौरव है। यह दुनिया भर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ग्रेट हिंदू एपिक्स में इस अत्यधिक सम्मानित शहर का उल्लेख किया गया है।

शहर का प्रमुख आकर्षण दिव्यता के सिद्धांत को पूरा करता गंगा घाट है। यह शहर के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जो तीर्थयात्रियों से भरा रहता है जो पवित्र गंगा में डुबकी लेने के लिए यहां आते हैं ताकि वे अपने पापों को धो सकें।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, गंगा मोक्ष की नदी है और सभी पीढ़ियों के लिए आषा का एक शाष्वत प्रतीक है। सबसे रोमांचक अनुभव गंगा घाट पर नाव की सवारी करना है। यह एक असाधारण स्थान है जहां मृत्यु और जीवन का सबसे अतरंग अनुष्ठान होता है।

रहन–सहन

बनारस एक मध्यम आकार का शहर है हालांकि यहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। पर्यटक यहां के केवल 25 प्रतिशत भाग को ही देख पाते हैं वह भी पुराने बनारस शहर में। शहर का ये भाग पुरानी काशी नगरी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहां पर सामान्यतः पुराने पारम्परिक भवन एंव संकरी गलियां हैं। संकरी गलियों एंव लोगों की बहुतायत के कारण यहां पर जाना कठिन है। पुराने बनारस शहर में रिक्शा ही यातायात का प्रमुख साधन है। यह सस्ता होने व संकरी गलियों में धीरे–धीरे चलने के कारण यहां के लिये उपयुक्त है। रिक्शा बनारस में आमतौर पर काफी संख्या में देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त यहां का पान बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर हर वर्ग के लोग चाहे, वह मजदूर वर्ग का हो या बड़ा व्यवसायी, पान चबाते हुये देखा जा सकता है।

बनारस के लोग सूती सफेद व नारंगी कपड़ों को अधिक पसंद करते हैं। हिंदु सन्यासियों एंव धार्मिक व्यक्तियों द्वारा केसरिया रंग के कपड़ों का प्रयोग अधिक किया जाता है। एक पतला सूती कपड़ा 'गमछा' भी यहां के लोगों द्वारा अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुउपयोगी कपड़ा है जोकि रूमाल, तौलिया, पगड़ी आदि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है एंव इसको धोना व सुखाना भी आसान है।

बनारस के लोग, सामान्यतः धार्मिक प्रवृति के हैं और वे प्रतिदिन धार्मिक क्रियाकलापों में काफी समय व्यतीत करते हैं। यहां पर बातचीत की प्रमुख भाषा हिंदी है। यहां के लोग लंबे तथा मजबूत कद काठी के होते हैं। सामान्यतः यहां जीवन मध्यम गति से चलता है यहां पर जनजीवन धीमी गति से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। इन परिवर्तनों को मोबाइल फोन, लाउड स्पीकर आदि के प्रयोग, बदलती वेशभूषा आदि के द्वारा समझा जा सकता है। शहर बाहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। नई पीढ़ी उन क्षेत्रों की तरफ जा रही है जहां पर सुविधायें अधिक हैं, सड़कें चौड़ी हैं, आवागमन के उन्नत साधन हैं, बेहतर पेयजल एंव सीवेज सुविधायें हैं परंतु ये गंगा से दूर हैं।

वाराणसी का जनजीवन

वाराणसी भारत के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। कई धर्मों एंव सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के यहां रहने के कारण इसे मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। वाराणसी हिंदु, मुस्लिम, बौद्व, जैन आदि सभी धर्मों के लोगों के लिये पवित्र स्थल है इसलिये यहां पर सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर, शांतिपूर्वक रहते हैं। यहां के लोग धार्मिक प्रवृति के हैं व धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों से युक्त हैं। यहां की सामाजिक एंव आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं जो उनके बीच एक अच्छी सामाजिक समरसता को विकसित करता है। इसे एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझा

जा सकता है वाराणसी एक धार्मिक पर्यटन का केन्द्र है परन्तु विश्व भर से जो पर्यटक वाराणसी घूमने के लिये आते हैं वे सारनाथ जाते हैं। बहुत से पर्यटक वाराणसी में खरीदारी करते हैं, बनारसी साड़ी यहां पर खरीदा जाने वाला मुख्य सामान है जो पारम्परिक रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अपने घरों में तैयार किया जाता है। खुदरा (रिटेल) व्यवसाय में हिंदु व मुस्लिम समुदायों के साथ ही जैन समुदाय की भी अच्छी पकड़ है। क्योंकि सारनाथ एंव वाराणसी हिंदुओं, बौद्व एंव जैन समुदाय के लोगों के लिये पवित्र स्थल है अतः इन समुदायों के लोगों का यहां पर ज्यादा आना जाना है। यह इन समुदायों के आपस में अंर्तनिर्भरता का दिखाता है जिसके कारण वाराणसी में इनके बीच सामाजिक एंव आर्थिक संबंध को मजबूत करता है।

वाराणसी के घाट

घाट गंगा नदी के तट पर बनायी गई सीढ़ियां हैं जो लोगों को तट तक पंहुचाती हैं। बनारस शहर में 84 घाट हैं जिनमें से अधिकतर का उपयोग पूजा आदि के लिये किया जाता है एंव कुछ का प्रयोग शवदाह हेतु किया जाता है। बनारस के ज्यादातर घाटों का निर्माण 1700 ई0 के बाद किया गया जब ये मराठा राज्य का हिस्सा था। बहुत से घाट पौराणिक कथाओं का हिस्सा हैं जबकि कुछ घाट व्यक्तिगत भी हैं।

1. अहिल्याबाई घाट

1778 से 1785 के बीच केवलगिरी घाट को महारानी अहिल्याबाई होल्कर के द्वारा दोबारा बनवाया गया। उनके सम्मान व याद में इस घाट का नाम अहिल्याबाई घाट रखा गया। इसकी चाहरदिवारी के अन्दर एक महल तथा रिहायशी इलाका है। जहां से सीढ़ियों द्वारा गंगा तट पर पंहुचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक बड़ा हनुमान मंदिर है और दो मंदिर घाट पर हैं। हनुमान मंदिर के आंगन एंव बरामदे में कई मूर्तियां है। वहां पर सेवादारों के लिये मकान भी हैं जिनमें से कुछ का प्रयोग अखाड़े के रूप में भी किया जाता है।

2. असी घाट

बनारस में असी घाट एक ऐसा स्थान है जहां पर लम्बे समय से विदेषी छात्र, शोधार्थी एंव पर्यटक रहते हैं। इस घाट का भ्रमण प्रायः लोगों द्वारा मनोरंजन या त्योहारों के दौरान किया जाता है। विषेष दिनों में यहां पर प्रति घंटे 300 एंव त्यौहारों के अवसर लगभग 2500 लोग प्रति घंटे आते हैं। घाट में षिवरात्रि आदि त्योहारों के अवसर पर लगभग 22,500 लोग एक वक्त में आते हैं। मान्यता के अनुसार शुम्भ–निषुम्भ के वध के पश्चात मां दुर्गा ने अपनी तलवार फेंक दी थी ये तलवार जहां पर गिरी वहां पर एक बड़ी धारा बन गई जो बाद में असी नदी में परिवर्तित हो गई। गंगा व असी नदी के संगम पर असी घाट स्थित है।

3. दषाष्वमेध घाट

दषाष्वमेध घाट वाराणसी का एक महत्वपूर्ण घाट है। दषाष्वमेध का षाब्दिक अर्थ दस घोड़ो का बलिदान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रहमा ने भगवान षिव को निर्वासन की अवधि से वापस जाने की अनुमति देने के लिये दस घोड़ों का बलिदान किया था। दषाष्वमेध साफ एंव रमणीक घाट है। इस घाट पर साधु संत बड़ी संख्या में धार्मिक संस्कार करते हैं। इस घाट पर आरती के बाद गंगा में विसर्जित हजारों दिये दिव्य दृष्य उत्पन्न करते हैं।

4. हरिष्चन्द्र घाट

हरिश्चन्द्र घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। हरिष्चन्द्र घाट का नाम राजा हरिष्चन्द्र के नाम पर रखा गया था जिन्होने यहां पर सत्य की रक्षा व दान पुण्य के लिये दाह संस्कार का कार्य किया था। ऐसा माना जाता है कि उनके संकल्प, दानपुण्य एंव सच्चाई से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें उनका राज्य व उनके मृत पुत्र को लौटा दिया था।

वाराणसी में शवदाह हेतु स्थित दो प्रमुख घाटों, में से हरिष्चन्द्र एक घाट है। यहां पर दूर दूर से लोग अपने परिवार व रिष्तेदारों के शवों को दाह संस्कार के लिये लेकर आते हैं। मान्यता है कि जिन व्यक्तियों का दाह संस्कार यहां पर होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्ष 1980 में हरिष्चन्द्र घाट का आधुनिकीकरण करते हुये यहां पर एक विद्युत शवदाहगृह का निर्माण कराया गया था।

5. मणिकर्णिका घाट

मणिकर्णिका घाट वाराणसी में दाह संस्कार हेतु मुख्य घाट है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे पुराना एंव पवित्र घाट है। माना जाता है यहां पर दाह संस्कार करने पर व्यक्ति जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। पांचों तीर्थों के मध्य में स्थित मणिकर्णिका घाट सृजन और विनाष दोनों का प्रतीक है। यहां पर मृत शरीर को अग्नि के हवाले करते हुये उनकी अनंत शांति की कामना की जाती है। मणिकर्णिका घाट में एक पवित्र कुंआ है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट का निर्माण भगवान विष्णु द्वारा जगत के निर्माण के समय किया गया जबकि वहां की गर्म राख संसार में सब कुछ नष्वर होने का प्रतीक है।

6. मन मंदिर घाट

मनमंदिर घाट सन 1600 में राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था जिसका 19वीं षताब्दी में पुर्ननिर्माण कराया गया। यह विषाल घाट मुख्य रूप से इसमें 18वीं शताब्दी में निर्मित वेधषाला के लिये जाना जाता है जो जयपुर के महाराजा के लिये बनवाया गया था और जिसमें सुसज्जित खिड़कियां हैं। इसके उत्तरी भाग में एक बालकनी है। प्रसिद्ध स्थूलदंत विनायक, रामेष्वर एंव सोमेष्वर मंदिर इसी घाट के पास अवस्थित हैं।

7. मानसरोवर घाट

मानसरोवर घाट को आमेर के राजा ने सन 1585 में बनवाया था। राजा द्वारा निकट में एक कुंड भी बनवाया गया जिसे मानसरोवर कुंड के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि इस कुंड का जल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समान ही पवित्र है इसलिये इसके पास स्थित घाट का नाम भी मानसरोवर रखा गया। राजा के वंषजों व बाद में उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा इस घाट का कई बार पुर्ननिर्माण करवाया गया है। जैसे—जैसे

घाट का विस्तार होता गया कुंड छोटा होता गया और आज ये मानसरोवर कूप के रूप में जाना जाता है। 1962 में घाट के उपरी भाग को कुमारस्वामी मठ के द्वारा खरीद लिया गया। मठ के द्वारा यहां पर पर्यटकों के लिये मंदिर तथा विश्राम गृह बना दिये गये हैं।

8. राजघाट

इस घाट का निर्माण राजराव बालाजी ने 1720 में करवाया था। अब इसके उत्तरी भाग में महल एंव दक्षिणी भाग में अन्नपूर्णा मठ है। ये दोनों भाग सीढ़ियों द्वारा विभाजित हैं। 1980 तक यहां पर ब्राहमणों, संस्कृत के विद्यार्थियों एंव सन्यासियों को भोजन कराने की पंरपरा थी परंतु जब से क्लार्क होटल ने इसे पर्यटकों के एक विषेष वर्ग हेतु प्रयोग करना शुरू किया है ये परंपरा नष्ट हो गई है। 1965 में उत्तर प्रदेष सरकार ने इसका पुर्ननिर्माण करवाया तथा घाट की सीढ़ियों को लाल पत्थर से बनवाया। यहां पर अन्नपूर्णा, लक्ष्मीनारायण एंव षिव के मंदिर भी स्थित हैं।

9. नारद घाट

इस घाट का पुराना नाम कुवई घाट है। यह 1788 में एक मठ प्रमुख दत्तात्रेय स्वामी द्वारा बनवाया गया था। नारद घाट पर स्थित चार प्रमुख प्रतिमायें हैं – नारदेष्वर, अत्रिष्वर, वासुकेष्वर और दत्तात्रेयेष्वर। कहा जाता है कि नारद घाट में पति पत्नी को साथ में नहाना नहीं चाहिये ऐसा करने से उनके बीच विवाद होने की संभावना रहती है।

10. गंगामहल घाट

गंगामहल घाट वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है। यह 1830 में नारायण वंष के द्वारा असी घाट के विस्तार के रूप में कराया गया था। इसके पास बने महल को गंगा महल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह महल घाट के किनारे बना था इसलिये इस

घाट का नाम गंगा महल घाट पड़ गया। गंगा महल घाट एंव असी घाट के बीच बनी सीढ़िया इन्हें अलग करती हैं।

वाराणसी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल

मंदिरों के अलावा, यहां बौद्ध स्तूप और जैन अभयारण्यों के लिए भी एक आदर्ष गंतव्य है। इसका शांत वातावरण और आध्यात्मिक स्वरूप निष्चित रूप से आपको जीवन भर का अनुभव प्रदान करेगा। इसी तरह दषाष्वमेध घाट में आरती अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है।

काषी विष्वनाथ मंदिर

काषी विष्वनाथ मंदिर बारह ज्योर्तिलिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काषी विष्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विषिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्षन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में दर्षन करने के लिए आदि शंकराचार्य, सन्त एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर सन्त एकनाथ जी ने वारकरी सम्प्रदाय का महान ग्रन्थ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया और काषी नरेष तथा विद्धतजनों द्वारा उस ग्रन्थ की हाथी पर शोभा यात्रा खूब धूमधाम से निकाली गयी। महाषिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल–नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विष्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है।

अन्नपूर्णा का मंदिर

बनारस में काषी विष्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं भगवान षिव को खाना खिलाया था। इस मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के प्रांगण में कुछ मूर्तियाँ स्थापित है, जिनमें माँ काली,

शंकर पार्वती और नरसिंह भगवान का मंदिर है। अन्नकूट महोत्सव पर माँ अन्नपूर्णा का स्वर्ण प्रतिमा सार्वजनिक रूप से एक दिन के लिए दर्षनार्थ निकाला जाता है भक्त इस अद्भुत छटा के दर्षन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्त्रोत की रचना कर ज्ञान वैराग्य प्राप्ति की कामना की थी। एक किंवदंती के अनुसार उज्जैनी नरेष महाराजा विक्रमादित्य ने काषी में बारह वर्षों तक माँ की घोर आराधना की जिसके बाद प्रसन्न होकर माँ ने चरण स्वरूप में माँ अन्नपूर्णा एवं मुख स्वरूप में माँ हरसिद्धी (उज्जैन) में भक्तों पर कृपा करने का वचन दिया था।

केदारेष्वर मंदिर

बनारस में केदार घाट के पास केदारेष्वर मंदिर है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के कहर से बच गया था। इसी के समीप गौरी कुण्ड है। इसी को आदि मणिकार्णिका या मूल मणिकार्णिका कहा जाता है।

मणिकर्णिका घाट के समीप विष्णु चरणपादुका है। इसे मार्बल से निर्मित किया गया है। इसे काषी का पवित्रतम स्थान कहा जाता है। अनुश्रुति है कि भगवान विष्णु ने यहां ध्यान लगाया था। इसी के समीप मणिकर्णिका कुण्ड है। माना जाता है कि भगवान षिव का मणि तथा देवी पार्वती का कर्णफूल इस कुण्ड में गिरा था। चक्रपुष्करर्णी एक चौकोर कुण्ड है। इसके चारों ओर लोहे की रेलिंग बनी हुई है। इसे विष्व का पहला कुण्ड माना जाता है। यहां का काली भैरव मंदिर भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर गोदौलिया चौक से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में टाउन हॉल के पास स्थित है। इसमें भगवान षिव की रौद्र मूर्ति स्थापित है। इसी के नजदीक बिंदू माधव जी का मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।

दुर्गा कुंड, वाराणसी

बनारस में असी रोड से कुछ ही दूरी पर आनन्द बाग के पास दुर्गा कुंड नामक स्थान है। यहां आदि शक्ति का दुर्गा मंदिर भी है। इस मंदिर और कुंड का निर्माण 18वीं सदी में बंगाल की महारानी ने करवाया था।

यह कुंड पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि यहां देवी माता की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी।

नवरात्रि सावन तथा मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ रहती है। इसी के पास राम चरित मानस के रचियता गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी का संकटमोचन मंदिर है।

विषालाक्षी मंदिर

काषी विष्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर काषी विषालाक्षी मंदिर है। यह पवित्र 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहां षिव की पत्नी सती की आंख गिरी थी।

साक्षी गणेष मंदिर

साक्षी गणेष मंदिर, वाराणसी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। षिवरात्रि के दिन होने वाली पंचकोषी यात्रा को पूरा कर तीर्थयात्री साक्षी गणेष मंदिर को देखने जरूर आते हैं। इस मंदिर के दर्षन के बाद ही वे अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं।

भैरोनाथ का मंदिर

विश्वनाथ मंदिर से दो मील की दूरी पर भैरोंनाथ का मंदिर है, उन्हें काषी का कोतवाल कहा जाता है। उनके हाथ में बड़ी एवं मोटे पत्थर की लाठी होने के कारण इन्हें दण्डपाणि भी कहा जाता है। इसका वाहन कुत्ता है।

लोलाकेष्वर मंदिर

बनारस में तुलसीघाट से पैदल दूरी पर पवित्र लोलारक कुंड है। महाभारत में भी इस कुण्ड का उल्लेख मिलता है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुण्ड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। यहां पर लोलाकेष्वर का मंदिर है। भादों महीने (अगस्त, सितम्बर) में यहां मेला लगता है।

मंदिरों के अलावा, यहां बौद्ध स्तूप और जैन अभ्यारण्यों के लिए भी एक आदर्ष गंतव्य है। इसका शांत वातावरण और आध्यात्मिक स्वरूप निष्चित रूप से आपको जीवन भर का

अनुभव प्रदान करेगा। इसी तरह दषाष्वमेध घाट की आरती अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है।

ज्ञानवापी मस्जिद

ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, उत्तर प्रदेष, में पंचगंगा घाट पर स्थित है। यह मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। यह गंगा नदी के साथ ललिता घाट के पास दषाष्वमेघ घाट के उत्तर में स्थित है। यह जामा मस्जिद वाराणसी शहर के दिल में स्थित है। मस्जिद स्थापत्य रूप से इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण है। मस्जिद में उच्च गुंबद और मीनार हैं। पंचगंगा घाट जहां मस्जिद स्थित है कहा जाता है कि वहां पांच धाराएं मिलती है।

सारनाथ

सारनाथ, वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पष्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेष यहीं दिया था जिसे **धर्मचक्रप्रवर्तन्** का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार–प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक है (अन्य तीन हैं: लुम्बिनी, बोधगया और कुषीनगर)। इसके साथ ही सारनाथ का जैन धर्म एवं हिन्दू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रन्थों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहां पर सारंगनाथ महादेव का मन्दिर भी है जहां सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है।

सारनाथ में अषोक का चर्तुमुख सिंहस्तंभ, भगवान बुद्ध का मन्दिर, धामेख स्तूप, चौखन्डी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मन्दिर, चीनी मन्दिर, मूलगंधकुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्षनीय हैं। भारत का राष्ट्रीय चिह्न यहीं के अषोक स्तंभ के मुकुट की द्विविमीय अनुकृति

है। मुहम्मद गोरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। सन 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई का काम प्रारम्भ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायी और इतिहास के विद्वानों का ध्यान इधर गया। वर्तमान में सारनाथ एक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है।

पार्श्वनाथ जैन मंदिर

पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के भेलूपुर में स्थित है। भेलूपुर, 23वें तीर्थकंर, पार्श्वनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। पार्श्वनाथ को समर्पित एक सुंदर मंदिर यहां बनाया गया है। मंदिर में स्थित मूर्ति काले रंग की और 75 सेमी ऊंचाई की है। यह स्थान वाराणसी शहर के केंद्र से 5 किमी0 और बनारस हिंदू विष्वविद्यालय से 3 किमी0 दूर स्थित है। यह जैन धर्म के दोनों संप्रदायों से संबंधित है और जैन लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है।

बनारस की संस्कृति

वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, ऐतिहासिक स्मारकों के बजाय वाराणसी अपनी सांस्कृतिक वंषावली के कारण सबसे प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में उभरती है। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वाराणसी शहर को बनारस और काषी भी कहा जाता है इसलिए वाराणसी के नागरिकों को बनारसी या काषीकेय भी कहा जाता है। यहां की जीवंत संस्कृति वाराणसी पर्यटन का सार है।

वाराणसी में वास्तुषिल्प डिजाइन का एक संग्रहालय है। यहां के मंदिर, मस्जिद और अन्य ऐतिहासिक इमारतें इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को दर्षाते हैं। वाराणसी में पेंटिंग्स, मूर्तिकला शैलियों और लोक कला की विविधता का एक समृद्ध और मूल खजाना है। वर्षों से वाराणसी ने मास्टर कारीगरों का निर्माण किया है और अपनी साड़ी, हस्तषिल्प, कपड़ा, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम और पत्ते और फाइबर षिल्प के लिए नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है।

वाराणसी शहर में समृद्धि, बौद्धिक परंपराओं, जातियों और रीति–रिवाजों के साथ गरीबी, असमानता और झोपड़ियां भी मौजूद हैं, यहां पर अत्यधिक उच्च और निम्न सामाजिक स्तर

के लोग साथ रहते हैं। पान, ठंडाई, गमछा जैसी पारंपरिक चीजें वाराणसी की संस्कृति को अद्वितीय के रूप में दर्षाते हैं।

वाराणसी संगीत, नाटक और मनोरंजन का शहर भी है। यहां पर संगीत और नृत्य परंपरा का अपना घराना है। यहां पर लोक संगीत और नाटक, पारंपरिक संगीत, मेले, त्यौहारों और खेल की रोमांचक और समृद्ध परंपरा है।

वाराणसी अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवनश्शैली के लिए भी जाना जाता है। मंदिर, मस्जिद और पूजा वाराणसी के लोगों के दिन–प्रतिदिन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, वाराणसी के सामाजिक–आर्थिक पहलू धर्म आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित हैं, फिर भी आधुनिक दुनिया में शहर पीछे नहीं है। बढ़ते आवास और आधुनिक उद्योगों के अलावा वाराणसी बनारस हिंदू विष्वविद्यालय के लिए भी प्रसिद्ध है जंहा से कुछ विष्व प्रसिद्ध विद्वानों का संबंध है।

बनारस में साहित्य

बनारस की अपनी कला, साहित्य और संस्कृति है। बनारस तुलसीदास (रामचरित मानस), रविदास, संत कबीर, भारतेन्दु हरिष्चंद्र आदि जैसे कई महान भारतीय लेखकों का जन्म/कार्य स्थल रहा है। इसी प्रकार जयषंकर प्रसाद, मुंषी प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वागीष शास्त्री, आचार्य षुक्ला आदि जैसे आधुनिक लेखक भी वाराणसी से थे। इसी से भारतीय साहित्य में वाराणसी के लोगों के योगदान की कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह रवि शंकर, बिस्मिल्लाह खान, गिरिजा देवी, सिद्धेष्वरी देवी, लालमनी मिश्रा आदि जैसे संगीतकार वाराणसी से थे।

वाराणसी की जीवित संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को तीन प्रमुख धर्मों द्वारा देखा जा सकता है जो हिंदू, धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हैं। वाराणसी तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ स्थल बन गया है। मुस्लिम शासकों द्वारा पुरानी संस्कृति और परंपराओं को नष्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर उन्हें महान राजा अकबर ने फिर से नवीनीकृत किया। उन्होंने वाराणसी की संस्कृति और विरासत को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पवित्र नदी गंगा की उपस्थिति के कारण वाराणसी प्राकृतिक विरासत

का स्रोत भी है। वाराणसी के लोगों को त्यौहारों पर गंगा के पवित्र पानी में स्नान करने व पुण्य कमाने का दृढ़ विष्वास है।

वाराणसी की विभूतियां

कबीर

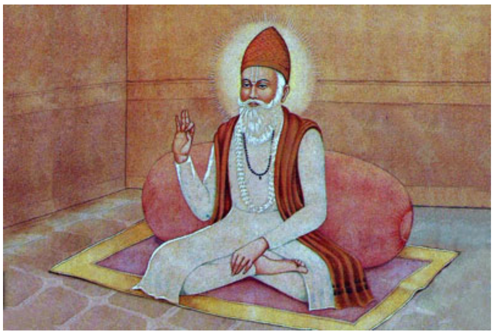

कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं। कबीर पन्थियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काषी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुस्लमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिन्दू धर्म की बातें मालूम हुईं। एक दिन, एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानन्द जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम–राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा–मन्त्र मान लिया और रामानन्द जी को अपना गुरू स्वीकार कर लिया।

सन्त कबीर कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक–एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थपूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया और असत्य व अन्याय की पोल खोल धज्जियाँ उड़ाता चला गया। कबीर का अनुभूत सत्य अंधविष्वासों पर वार करता है। सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेष पर सवालिया निषान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है।

प्रेमचंद

प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग चार मील दूर, लमही नाम के गाँव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनके पिताजी मुंषी अजायब लाल और माता आनन्दी देवी थीं। प्रेमचंद का बचपन गाँव में बीता था। वे नटखट बालक थे और खेतों से षाक सब्जी और पेड़ों से फल चुराने में दक्ष थे। उन्हें मिठाई का बड़ा शौक था और विषेष रूप से गुड़ से उन्हें बहुत प्रेम था। बचपन में उनकी षिक्षा–दीक्षा लमही में हुई और एक मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ना सीखा। उनका वास्तविक नाम धनपतराय श्रीवास्तव था और बहुत वर्षों

बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरम्भ किया, तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया। बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यन्त नवाब के नाम से ही सम्बोधित करते रहे। जब सरकार ने उनका पहला कहानी–संग्रह "सोज़े वतन" ज़ब्त किया, तब उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। बाद का उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद के नाम से प्रकाषित हुआ। कम ही लोग जानते हैं कि प्रख्यात कथाकार मुंषी प्रेमचंद अपनी महान् रचनाओं की रूपरेखा पहले अंग्रेजी में लिखते थे और इसके बाद उसे हिन्दी अथवा उर्दू में अनूदित कर विस्तारित करते थे।

भारतेन्द्र हरिष्चन्द्र

भारतेन्द्र हरिष्चन्द्र (जन्म 9 सितम्बर सन् 1850, काषी व मृत्यु 6 जनवरी सन् 1885) आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेन्दु हिन्दी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। पंद्रह वर्ष की अवस्था से भारतेन्दु ने साहित्य सेवा आरम्भ कर दी थी। 18 वर्ष की उम्र में "कविवचनसुधा" नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े–बड़े विद्वानों की रचनायें छपती थी। 1873 में "हरिष्चंद्र मैगजीन" एंव 1874 में स्त्री षिक्षा के लिये "बाला बोधिनी" नामक पत्रिका निकाली। अपनी देषभक्ति के कारण उन्हें अग्रेंजी हुकूमत के कोप का भाजन बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काषी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु (भारत का चंद्रमा) की उपाधि प्रदान की।

जयषंकर प्रसाद

जयषंकर प्रसाद (जन्म 30 जनवरी 1889, वाराणसी, उत्तर प्रदेष, मृत्यु 15 नवम्बर 1937) हिन्दी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विषिष्ट स्थान रखते हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण है। भावना प्रधान कहानी लिखने वालों में जयषंकर प्रसाद अनुपम थे। कविताएं, उपन्यास, नाटक, और निबन्ध सभी में उनकी गति समान है। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक षिल्प है। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तम्भ के रूप में प्रतिष्ठित हुये हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युगप्रवर्तक नाटककार रहे। 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास एंव आलोचनात्मक निबंध आदि विधाओं में रचनायें की।

बिस्मिल्लाह खाँ

बिस्मिल्लाह खाँ का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव नामक स्थान पर हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ विष्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते थे परदादा शहनाई नवाज़ उस्ताद सालार हुसैन खाँ से शुरू यह परिवार पिछली पाँच पीढ़ियों से शहनाई वादन का प्रतिपादक रहा है। बिस्मिल्लाह खाँ को उनके चाचा अली बक्ष विलायतु ने संगीत की षिक्षा दी, जो बनारस के पवित्र विष्वनाथ मन्दिर में अधिकृत शहनाई वादक थे।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ के नाम के साथ एक दिलचस्प वाकया भी जुड़ा हुआ है। उनका जन्म होने पर उनके दादा रसूल बख्श खाँ ने उनकी तरफ़ देखते हुए बिस्मिल्ला कहा। इसके बाद उनका नाम बिस्मिल्ला ही रख दिया गया। उनका एक और नाम कमरूद्दीन था। उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े में दरबारी संगीतकार थे। उनके पिता पैगंबर खाँ इसी प्रथा से जुड़ते हुए डुमराव रियासत के महाराजा केषव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई वादन का काम करने लगे।

पं0 रवि शंकर

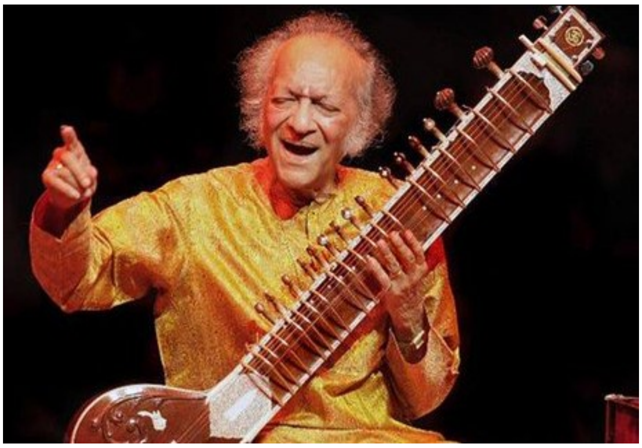

पं0 रवि शंकर का जन्म संस्कृति संपन्न काषी में 7 अप्रैल सन् 1920 को हुआ था। आपका आरंभिक जीवन काषी के पुनीत घाटों पर ही बीता। पंडित रविषंकर का बचपन बहुत ही सुखद रहा। उनके पिता प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे और राजघराने में उच्च पद पर कार्यरत थे। रविषंकर जब केवल दस वर्ष के थे तभी संगीत के प्रति उनका लगाव शुरू हुआ। पंडित रविषंकर ने बचपन में कला जगत में प्रवेष एक नर्तक के

रूप में किया। रविषंकर संगीत की परम्परागत भारतीय शैली के अनुयायी थे। उनकी अंगुलियाँ जब भी सितार पर गतिषील होती थी, सारा वातावरण झंकृत हो उठता था। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संगीत को प्रतिष्ठित करने में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कई नई पुरानी संगीत रचनाओं को भी अपनी विषिष्ट शैली से सषक्त अभिव्यक्ति प्रदान की।

प्रारम्भ में पंडित जी ने अमेरिका के प्रसिद्ध वायलिन वादक येहुदी मेन्युहिन के साथ जुगलबन्दियों में भी विष्वभर का दौरा किया। तबला के महान उस्ताद अल्ला रक्खा भी पंडित जी के साथ जुगलबन्दी कर चुके हैं। वास्तव में इस प्रकार की जुगलबन्दियों में ही उन्होंने भारतीय वाद्य संगीत को एक नया आयाम दिया। पंडित जी ने अपनी लम्बी संगीत यात्रा में अपने और अपने सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ के अतिरिक्त उनकी रागमाला नामक पुस्तक विदेष के एक सुप्रसिद्ध प्रकाषक ने प्रकाषित की है।

गिरिजा देवी

गिरिजा देवी (जन्म 8 मई 1929 व मृत्यु 24 अक्टूबर 2017) सेनिया और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वे शास्त्रीय और उप–शास्त्रीय संगीत का गायन करती थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठुमरी में उनके योगदान के कारण उन्हें "ठुमरी क्वीन" भी कहा जाता है। गिरिजा देवी को सन 2016 में पद्म विभूषण एवं 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गिरिजा देवी ने गायन की सार्वजनिक शुरूआत ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद पर 1949 से की, लेकिन उन्हें अपनी मां और दादी से विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि यह परंपरागत रूप से माना जाता था कि उच्च वर्ग की महिला को सार्वजनिक रूप से गायन का प्रदर्षन नहीं करना चाहिए। गिरिजा देवी बनारस घराने से गाती हैं उनके प्रदर्षनों की सूची में अर्द्ध शास्त्रीय शैलियों कजरी, चैती और होली भी शामिल है वे ख्याल, भारतीय लोक संगीत, और टप्पा भी गाती है।

रानी लक्ष्मीबाई

रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवम्बर 1835 को काषी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र असीघाट, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी चार–पांच वर्ष ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राहमण और अंतिम पेषवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुषील, चतुर और रूपवती महिला थी। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गई थी। यहीं पर उन्होने मल्लविद्या, घुड़सवारी और शस्त्रविद्यायें सीखी। उन्होने न केवल भारत की बल्कि विष्व की महिलाओं को गौरान्वित किया। उनका जीवन स्वंय में वीरोचित गुणों से भरपूर, अमर देषभक्ति और बलिदान की अनुपम गाथा है।

- रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला थी।
- अग्रेजों के विरूद्व रणयज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्वाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है।
- 1857 में उन्होनें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया था। अपने शौर्य से उन्होंने अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिये थे।
- अंग्रेंजो की शक्ति का सामना करने के लिये उन्होंने नये सिरे से सेना का संगठन किया और सुदृढ़ मोर्चाबंदी करके अपने सैन्य कौषल का परिचय दिया था।

बनारस का नृत्य एंव संगीत

बनारस घराना हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्व घरानों में गिना जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस घराने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेष का बनारस

घराना जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। इस घराने में गति व श्रृंगारिकता के स्थान पर प्राचीन व प्रारंभिक शैली पर अधिक जोर दिया जाता है। बनारस घराने के नाम पर प्रख्यात नृत्यगुरू सितारा देवी के पष्चात उनकी पुत्री कत्थक क्वीन जंयतीमाला ने इसके वैभव और छवि को बरकरार रखने का प्रयास किया है एंव गुरू षिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिये प्रयासरत हैं।

यह घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिये प्रसिद्व रहा है इस घराने के गायन ख्याल गायकी के लिये जाने जाते हैं। इसके साथ ही बनारस घराने के तबला वादकों की भी अपनी एक स्वतंत्र शैली रही है। सारंगी वादकों के लिये भी यह घराना काफी प्रसिद्व रहा है। इस घराने की गायन एंव वादन शैली पर उत्तर भारत के लोक गायन का गहरा प्रभाव है। कुछ विद्वानों का कथन है कि आर्यों के भारत में स्थायी होने से पहले यहां की जनजातियों में संगीत विद्यमान था। उसका आभास बनारस के लोक संगीत में दिखता है। ठुमरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेष की ही देन है। लखनऊ में इसकी पैदाइष हुई थी और बनारस में इसका विकास हुआ ।

बनारसी ठुमरी

बनारसी ठुमरी के दो प्रकार हैं –

1. धनाक्षरी अर्थात शायरी ठुमरी – यह द्रुतलय में गाई जाती है और द्रुत तानों के द्वारा प्रसारित की जाती है।
2. बेल की ठुमरी – इसे मंद गति के साथ गाया जाता है और एक–एक शब्द को बोलते हैं।

बनारस अंग की ठुमरी में चैनदारी है। यहां की बोलचाल बौर कहने का अलग किस्म होता है। यहां की ठुमरी में ठहराव और अदायगी का अपना एक अलग रंग है। इसमें खूबसूरती अपेक्षाकृत अधिक रहती है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ठुमरी के आदि प्र्वतक थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम तनवरी पड़ा था, जो बाद में बिगड़कर ठुमरी हो गया। ठुमरी के इतिहास में मौजुद्दीन खान, ग्वालियर के भैया गणपतराव और नवाब वाजिद अलीषाह का नाम भी महत्वपूर्ण है। बनारस की ठुमरी पंडित जगदीप मिश्र से शुरू हुई। पंडित जगदीप मिश्र, भैया गणपतराव एंव मौजुद्दीन खान के समय से विलंबित लय की बोल

बनाव ठुमरी के गाने का प्रचलन बढ़ा तथा बनारस में इसका अत्यधिक प्रचार–प्रसार हुआ, तत्पष्चात यही ठुमरी पूरब की बोलियों तथा लोकगीतों के प्रभाव से और अधिक भावप्रधान हो गई, और अंत में बनारसी ठुमरी के नाम से रूढ़ हो गई।

सुप्रसिद्व सितार वादक पंडित रविषंकर का जन्म बनारस में हुआ। श्रेष्ठ संतूर वादक षिवकुमार शर्मा के पिता पंडित अमर दत्त शर्मा ने बनारस घराने के महान गायक पंडित बड़े रामदास जी से षिक्षा प्राप्त की थी।

बनारस घराना भारतीय तबला वादन के छः प्रसिद्व घरानों में से एक है। ये घराना 200 वर्षों से कुछ पहले ख्यातिप्राप्त पंडित रामसहाय के प्रयासों से विकसित हुआ था। पंडित रामसहाय ने अपने पिता के संग पांच वर्ष की आयु से ही तबला वादन प्रारंभ किया था। 9 वर्ष की आयु में ये लखनऊ आ गये एंव लखनऊ घराने के मोधु खान के षिष्य बन गये। जब राम सहाय मात्र 17 वर्ष के ही थे, तब लखनऊ के नये नवाब ने मोधु खान से पूछा कि क्या राम सहाय उनके लिये एक प्रर्दषन कर सकते हैं? कहते हैं कि राम सहाय ने 7 रातों तक लगातार तबला वादन किया जिसकी प्रषंसा पूरे समाज ने की एंव उन पर भेंटों की बरसात हो गयी। अपनी इस प्रतिभा के प्रदर्षन के बाद राम सहाय बनारस वापस आ गये। आज बनारसी तबला घराना अपने शक्तिषाली रूप के लिये प्रसिद्व है, हालांकि बनारस घराने के वादक हलके और कोमल स्वरों के वादन में भी सक्षम हैं। बनारस शैली तबले के अधिक आनुनादिक थापों का प्रयोग करती है। बनारस वादक अधिमान्य रूप से पूरे हाथ से थई–थई थाप देते हैं, बजाय एक अंगुली देने के, जैसे दिल्ली शैली में देते हैं। वैसे बनारस बाज शैली में दोनों ही थाप एकीकृत की गई हैं। बनारस घराने के तबला वादक तबला वादन की सभी शैलियों में जैसे एकल, संगत, गायन, नृत्य संगत सब में पारंगत होते हैं।

बनारस घराने में एकल वादन बहुत विकसित हुआ है और कई वादक जैसे पंडित शारदा सहाय, पंडित किषन महाराज और पंडित समता प्रसाद, एकल तबला वादन में महारत और प्रसिद्वि प्राप्त है। घराने के नये युग के तबला वादकों में पं0 समर साहा, पं0 बालकृष्ण अय्यर, पं0 शषांक बख्शी, संदीप दास, पार्थसारथी मुखर्जी, सुखविंदर सिंह नामधारी, विनीत

व्यास ओर कई अन्य हैं। बनारसी बाज में विभिन्न संयोजन शैलियों और अनेक प्रकार के मिश्रण प्रयुक्त होते हैं।

कला

काषी के कारीगरों के कला कौषल की ख्याति सुदूर प्रदेषों तक रही है। काषी आने वाला कोई भी यात्री यहां के रेषमी किमखाब तथा जरी के वस्त्रों से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता। यहां के बुनकरों की परंपरागत कुषलता और कलात्मकता ने इन वस्तुओं को संसार भर में प्रसिद्वि और मान्यता दिलाई है। विदेष व्यापार में इसकी विषिष्ट भूमिका रही है। इसके उत्पादन में बढ़ोतरी और विषिष्टता से विदेषी मुद्रा अर्जित करने में बड़ी सफलता मिली है। रेषम तथा जरी के उद्योग के अतिरिक्त यहां पीतल के बर्तन तथा उन पर मनोहारी काम भी अपनी कला और सौंदर्य के लिये विख्यात है। इसके अलावा यहां लकड़ी के खिलौने भी दूर–दूर तक प्रसिद्व हैं, जिन्हें कुटीर उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

(**source - Wikipedia and Ganges-River.org**)

सुरक्षित और मनोरंजक पर्यटन हेतु दिषानिर्देष

बढ़ती वैष्विक यात्रा, व्यापार और भारत को वैष्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के भारतीय पर्यटन उद्योग के उद्देष्य को ध्यान में रखते हुये पर्यटन मंत्रालय ने अपनी नीति में रणनीतिक रूप से "अतिथि देवो भवः" का केंद्रीय सिद्वांत रेखांकित किया है। भारतीय पर्यटन की प्रतिबद्वता स्पष्ट है कि भारत में आने वाला हर पर्यटक शारीरिक रूप से उत्साहित, मानसिक रूप से पुर्नजीवित, सांस्कृतिक रूप से समृद्व और आध्यात्मिक रूप से उन्नत रहें।

इस उद्देष्य को पूरा करने के लिये और वर्ष 2002 की राष्ट्रीय पर्यटन नीति में पर्यटन के सात स्तंभों को रेखांकित किया गया है। ये हैं – स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, समाचरम (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) और सफाई।

सुरक्षित और सम्माननीय पर्यटन का उद्देष्य "सुरक्षा" के महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूत करना और सुनिष्चित करना है कि भारतीय पर्यटन सुरक्षित पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। इसका मुख्य उद्देष्य यह सुनिष्चित करना है कि पर्यटन गतिविधियों को सभी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की गरिमा, सुरक्षा, शोषण से स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हेतु एकीकृत करने की आवष्यकता है। आज के परिदृष्य में सुरक्षा दिषानिर्देषों के सात स्तंभों का सिर्फ पालन करने के बारे में नहीं है लेकिन इसका अर्थ अच्छे व्यापार के प्रावधान भी हैं। जैसे जैसे यात्रियों की सुरक्षित पर्यटन की सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी होगी यह कोड हस्ताक्षरकर्ताओं की सेवाओं की श्रृंखला और कर्मियों की क्षमताओं के निर्माण करने में उनकी सहायता करेगा ताकि वे इस मांग का जवाब दे सकें।

विषिष्ट उद्देष्य–

यह कोड भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग को सक्षम करने के लिये आचरण दिषानिर्देष है–

1. पर्यटकों और स्थानीय निवासियों अर्थात उन लोगों और समुदायों को जो किसी भी तरह से पर्यटन द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, दोनों के गरिमा, सुरक्षा और शोषण से आजादी के बुनियादी अधिकारों के सम्मान के साथ पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
2. व्यक्तियों की सुरक्षा व सुरक्षित पर्यटन के लिये वेष्यावृति, यौन पर्यटन और यौन शोषण जैसे पर्यटन, विषेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर हमले और छेड़छाड़ की रोकथाम में सहायता।
3. जबरन या अनैच्छिक दवाओं के उपयोग, छेड़छाड़ की गई और गलत जानकारी, सांस्कृतिक अेर सामाजिक असहिष्णुता जैसी गतिविधियां, जो अपराध की संभावना को बढ़ा सकती है, की रोकथाम को बढ़ाने के लिये उपाय करना।

पर्यटन उद्योग के लिये दिषानिर्देष

1. कर्मियों की सूचना एंव प्रषिक्षण

- प्रबंधन इस कोड के दिषानिर्देष पर जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को प्रषिक्षित करने के उपायों का पालन करेगा और सर्तकता बढ़ाने के लिये उपयुक्त कानूनी प्रावधान करेगा। यह सुनिष्चित करेगा कि कर्मियों ने इस तरह से कार्य किया है जो

पर्यटकों को स्थानीय निवासियों अेर उनके अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

- सभी होटल और टूर आपरेटर यह सुनिष्चित करने के लिये कि इस कोड के सभी सुरक्षा मानदंडों और दिषानिर्देषों का पालन किया जाता है, दो व्यक्तियों को फोकल प्वाइंट के रूप में प्रषिक्षित करेंगें और बनाये रखेंगें। यह अधिकारी पर्यटकों को इस क्षेत्र में काम करने वाली सहयोगी एजेंसियों की सही जानकारी प्रदान करेगा जैसे चाइल्ड लाइन–1098, महिला सहायता लाइन – 1091, स्थानीय पुलिस हेल्पलाइन 100 और स्थानीय पुलिस स्टेषन, आप्रवासन प्राधिकरण, नागरिक समाज, बाल और महिला कल्याण समितियां इत्यादि एजेंसियों के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगें।
- शोषण की घटनाओं के मामले में कर्मियों को उपयुक्त प्रदाताओं को सही रिपोर्ट करने, कानूनी एजेंसियों, अन्य एजेंसियां जो ऐसे लोगों को देखभाल और सहयोग प्रदान करती हैं, को सहायता करने के लिये, साथ ही उस व्यक्ति के हितों की रक्षा जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, के लिये आवष्यक कार्यवाही करने हेतु संवेदनषील बनाया जायेगा।
- संगठन सेवा प्रदाताओं, विक्रेताओं, ठेकेदारों, टैक्सी ड्राइवरों, टूर गाइड जैसे उनके व्यवसाय से संबद्व इवेंट मैनेजमेंट कम्पनियों के बीच कोड पर जागरूकता को बढ़ावा देंगें।
- किसी कर्मचारी सदस्य या सेवा प्रदाता के कर्मियों द्वारा र्दुव्यवहार के मामले में कोड के हस्ताक्षरकर्ता खुद को निष्पक्ष तरीके से कार्य करने के लिये प्रतिबद्व करेंगें। उचित अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट करना और जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है उनके हितों की रक्षा करना ।
- पहचान किये गये पीड़ितों से अपराधी के रूप में व्यवहार नहीं किया जायेगा। उन्हें देखभाल, सुरक्षा की आवष्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में देखा जायेगा। उनको समय पर कानूनी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक–सामाजिक और अन्य सहायता प्रदान की जायेगी।

2. जनजागरूकता एंव अतिथि अधिसूचना

- किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ असहिष्णुता के संदेष मेहमानों/ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों के लिये उपयुक्त स्थानों में स्पष्ट किये जाने चाहिये। मेहमानों और ग्राहकों को व्यवसायिक यौन शोषण जैसे यौन पर्यटन, वेष्यावृति, अष्लील साहित्य, यौन हमले के रूप, छेड़छाड़ जैसे मुद्दों पर कंपनी की वेबसाइट, ब्रोषर, टिकट, बिल, इन–रूम/इन–फ्लाइट संचार इत्यादि के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की जानी चाहिये।

- सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के प्रति सहिष्णुता बढ़ाने के लिये, इस कोड के हस्ताक्षरकर्ताओं को स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं और मानदंडों पर उनके सर्वोत्तम ज्ञान के लिये उपलब्ध जानकारी प्रदान करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों का ज्ञान और सहिष्णुता पर्यटकों को उचित कपड़े पहनने, उचित आचरण करने और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करने में एंव उन्हें समायोजित करने में एंव उन्हें समायोजित करने में मदद करेगी ताकि किसी विषेष गंतव्य में विदेषी लोगों के रूप में वे परिस्थितियों का सामना कर सकें।

- कोड के हस्ताक्षरकर्ताओं को विषिष्ट शहर/स्थान पर जाने वाले पर्यटकों को सुरक्षा, यात्राओं के लिये समय, दौरे के लिये समय, सही ड्रेसिंग और अज्ञात व्यक्तियों से खाने को स्वीकार करने से संबंधित सावधानी बरतने पर मार्गदर्षन के साथ प्रोत्साहित किया जाता है। मेहमानों और ग्राहकों को टाउट्स, गैर–विनियमित पर्यटन ऑपरेटरों के खिलाफ चेतावनी दी जायेगी और पर्यटन मंत्रालय से और अन्य अधिकृत वेबसाइटों से परामर्ष लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

- हस्ताक्षरकर्ता यह सुनिष्चित करेंगें कि पंजीकरण के कागजात में एक खंड शामिल किया गया है जो पर्यटकों के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है। ताकि स्थानीय निवासियों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान किया जा सके और खुद को ऐसे तरीके से संचालित किया जा सके जो शोषण के खिलाफ पर्यटक की सुरक्षा में सहायता करे।

3. परिसर और आधिकारिक उपकरण का विनियमित प्रयोग

- प्रबंधन/मालिकों को संगठन के परिसर के उपयोग को अवैध पदार्थों, यौन उल्लंघनों और कंपनी के उपकरणों को देखने, भंडारण, वितरण, पदोन्नति या सामग्री के उपयोग के निषेध के लिये प्रोत्साहित किया जाता है जो इस कोड में उल्लिखित शोषण के लिये संभावना को बढ़ा सकता है।

- अनुमन्य से कम आयु के व्यक्तियों को बार एंव पब जैसे अनुबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- पर्यटन सेवा प्रदाता पर्यटक, कर्मियों और सेवा प्रदाताओं से संबंधित विवरणों जैसे पते, संपर्क वितरण इत्यादि का रिकार्ड सत्यापित करेंगें और बनाये रखेंगें और गोपनीयता बनाये रखने के लिये स्वंय को प्रतिबद्व करेंगें।

- अष्लील पर्यटन या अवैध पदार्थों की बिक्री और खरीद, यौन पर्यटन और अन्य यौन सेवाओं की खोज के लिये किसी भी संपर्क की तलाष करने वाले इंटरनेट उपयोग को प्रतिबंधित किया जायेगा।

4. नैतिक व्यापार क्रियायें एंव विपणन :

- प्रबंधन/मालिक यह सुनिष्चित करेंगें कि व्यापार भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और फ्रेंचाइजी के साथ होने वाले सभी अनुबंध में उनके कारोबार में सुरक्षित और माननीय पर्यटन के लिये आचरण संहिता के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्वता की मांग करने वाले खंड हों।

- किसी भी पर्यटन उद्यम या सेवा प्रदाता को इस तरह से कार्य जो इस कोड में उल्लिखित व्यक्तियों की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है या करते हुये पाया जाता है तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है।

- ऐसी यौन छवियों या अवधारणाओं का उपयोग विपणन उद्देष्यों के लिये नहीं किया जायेगा जो व्यक्तियों की सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं। यह सुनिष्चित करने के लिये स्पष्ट कंपनी नीति स्थापित की जायेगी कि विपणन और विज्ञापन यौन शोषण या यौन स्पष्ट छवियों के प्रचार को बढ़ावा देने का समर्थन नहीं करता है।

- कोड के हस्ताक्षरकर्ताओं को ऐसे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं का संरक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है जो इस कोड के प्रावधानों का पालन करने के लिये प्रतिबद्व है।

5. कार्यान्वयन और निगरानीः

- सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को सुरक्षित और माननीय पर्यटन के लिये आचरण संहिता पर वार्षिक रिपोर्ट बनाये रखने और इसे र्निदिष्ट प्राधिकारी को जमा करना होगा।
- प्रबंधन/मालिक इस पर रिपोर्ट करेंगें:
  - ✓ कर्मियों/कर्मचारियों के लिये गये प्रषिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
  - ✓ मेहमानों, कर्मियों और सेवा प्रदाताओं के बीच सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिये अपनाया गया तरीका।

जनजागरूकता हेतु महत्वपूर्ण संदेष

सभी पर्यटकों की सुरक्षा में वृद्वि–

- कोड के सभी हस्ताक्षरकर्ता इस तरीके से कार्य करने के लिये प्रतिबद्व हैं कि व्यक्तियों विषेषकर महिलाओं और बच्चों के शोषण के खिलाफ उनकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम, उनके अतिथियों की उत्पीड़न एंव अवांछित घटना के मामले में सहायता करता है।
- शोषण के मामले में कृपया चाइल्डलाइन – 1098, महिला सहायता लाइन– 1091 और/या यात्रा और टूर आपरेटर जैसे प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।
- बाकी दुनिया के कई स्थानों की तरह पर्यटकों को कुछ बुनियादी और व्यवहारिक सुरक्षा युक्तियों का पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे समूह के साथ रहना या सार्वजनिक स्थानों में नये लोगों से मिलना, उन लोगों से वस्तुओं को स्वीकार न करना जिनसे हाल ही में मित्रता की है, अज्ञात व्यक्तियों के अपने कमरे में आने से सावधान रहें, कमरे की सर्विस या रखरखाव करने के लिये आने वाले लोगों के लिये दरवाजा कभी न खोलें।

- पर्यटकों को स्थानीय, सामाजिक, सांस्कृतिक मानदंडों और मान्यताओं को समझाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और इन्हें इस तरह के विष्वासों का सममान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- पर्यटन स्थानों, स्थानीय रीति–रिवाजों, मान्यताओं और मानदंडों के स्थानों पर जानकारी मांगते समय पर्यटकों को हमेषा एक से अधिक व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिये और पूरे दस्तावेजों को स्वीकार करने पर सर्तक रहना चाहिये । पर्यटकों को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सूचना केन्द्रों और पर्यटन मंत्रालय की बेवसाइटों से जानकारी लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- महिलाओं का अष्लील निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986, धारा 2 (सी)– महिलाओं का अष्लील निरूपण, किसी महिला, उसके रूप या शरीर या किसी भी हिस्से का किसी भी रूप में चित्रण का अर्थ है कि एक महिला को अष्लील या अपमानजनक या अपमानित करने या लोगों की नैतिकता को भ्रष्ट करने की संभावना है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 367 के तहत गंभीर चोट लगने संबंधी कार्यों, दासता आदि के लिये व्यक्ति का अपहरण करना अपराध है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपमानित करने के इरादे से महिला पर आक्रमण या आपराधिक बल का प्रयोग अपराध है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार, बलात्कार अपराधों के लिये सजा सात साल से कम नहीं होनी चाहिये, लेकिन जो जीवन के लिये या जो दस साल की अवधि की हो सकती है।

स्थानीय लोगों की सुरक्षा में वृद्वि –

- दुनिया भर के लोग अलग–अलग कपड़े पहनते हैं और अलग खाना खाते हैं और विभिन्न मूल्यों एंव मानदंडों का पालन करते हैं। पर्यटकों को स्थानीय लोगों का सम्मान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें स्थानीय कानूनों के अनुपालन करने के लिये प्रतिबद्व होना चाहिये।

- कोड में हस्ताक्षरकर्ता यौन शोषण के कृत्यों के लिये शून्य सहनषीलता बनाये रखेंगें, जिसमें वेष्यावृति, यौन पर्यटन और इसके लिये व्यक्तियों की तस्करी जैसी व्यवसायिक यौन शोषण शामिल है।

- कई पर्यटक मानते हैं कि वे गुमनाम होने से सुरक्षित हैं और इस प्रकार कानूनों का आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है। इस एजेंसी से जुड़े किसी अतिथि, कर्मचारी, साथी को इस कोड में उल्लिखित शोषण में शामिल होना या इसे समर्थन देना पाया जाता है तो इस संबंध में एक उपयुक्त प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

- हाल के वर्षों में उभरे यौन पर्यटन, पीडोफीलिया, तीर्थयात्रियों और अन्य पर्यटक स्थलों में वेष्यावृति, सीमा पार तस्करी के माध्यम से यौन शोषण कुछ खतरनाक रूझान हैं।

- महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा किये गये अध्ययनों के मुताबिक, भारत में 30 लाख वाणिज्यिक यौन श्रमिक हैं जिनमें 40 प्रतिषत बच्चे हैं।

- मानव तस्करी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इसमें शोषण के लिये बल, जबरन या अन्य साधनों के उपयोग के माध्यम से किसी व्यक्ति को भर्ती करना, स्थानांतरित करना, रोकना या प्राप्त करना शामिल है। शोषण के लिये तस्करी के षिकार की सहमति अप्रासंगिक है।

- भारतीय दंड संहिता के अनुसार बच्चे के साथ यौन संबंध बलात्कार है और कम से कम 7 वर्षों की कारावास के साथ दंडनीय है जिसे आजीवन कारावास में बढ़ाया जा सकता है।

- वेश्यावृति के लिये किसी भी व्यक्ति (उम्र या लिंग के बावजूद) को प्रेरित करना या वेष्यावृति के लिये किसी व्यक्ति को ले जाना, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 5 के तहत 3–7 साल की सजा के साथ एक अपराध है।

- यह एक मिथक है कि एक कुंवारी या नाबालिग के साथ यौन संबंध एसटीआई का इलाज करेगा या एचआईवी को रोक देगा। यह केवल बिमारी फैलाता है।

- अपराध के लिये बहकाना खुद ही अपराध के समान है।

- शोषण के षिकार अपराधी नहीं हैं। उन्हें देखभाल, सुरक्षा, कानूनी, चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत है।

- अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के तहत, वेष्यावृति के लिये एक होटल या उसके किसी भी हिस्से को देना एक अपराध है जिसके लिये होटल का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

- किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप में प्रकाषित या प्रसारित सामग्री जो बच्चों को यौन कार्यों में लिप्त दर्षाती है या बच्चों को आनलाइन एक या अधिक बच्चों से संबंध रखने या यौन संबंधों के लिये प्रेरित करती है, सूचना प्रौद्योगिकी (संषोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 (बी) के तहत एक अपराध है।

- नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के अंर्तगत वैज्ञानिक एंव चिकित्सा कार्यों में उपयोग के अतिरिक्त नषीली दवाओं या मनोविज्ञान पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, छिपाने, उपयोग या खपत में संलग्न, अंतर–राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत में निर्यात या परिवहन, एक अपराध है। अपराध के लिये सजा कारावास, जुर्माना या दोनों को इंगित कर सकती है।

- एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध में उर्पयुक्त गतिविधियों में से किसी एक को चलाने के लिये किसी भी परिसर को देना एक अपराध है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के पास भारत की रक्षा, विदेषी शक्तियों के साथ भारत के संबंध या सुरक्षा के खिलाफ किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिये शक्ति है।

- विदेषी (संषोधन) अधिनियम 2004 – यदि देष के लिये एक यात्री अपने प्रवेष और भारत में रहने के लिये जारी किये गये वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे पांच वर्ष तक की अवधि के लिये कारावास के साथ दंडित किया जायेगा और जुर्माने के लिये भी उत्तरदायी होगा। अगर वह किसी के साथ अनुबंध कर चुका है तो उसके अनुबंध को रद्द किया जायेगा।

GANGA AQUALIFE CONSERVATION MONITORING CENTRE

Post Box #18, Chandrabani
Dehradun- 248001
Uttarakhand, India

t.: 91 135 2640114-15, 2646100
f.: 91 135 2640117
E-mail : wii.gov.in/nmcg/national-mission-for-clean-ganga